इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 9 अंक : 10 मई, 2017 पृष्ठों की संख्या 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।
मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ ----------3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 5
बीमा----------5
अर्थव्यवस्था ----------6
नयी नियुक्तियाँ ---------- -6
उत्पाद एवं गठजोड़ ---------- 7
विदेशी मुद्रा ----------7
सूक्ष्मवित्त ----------8
शब्दावली ----------8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- 8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---------- 9
संस्थान समाचार ---------- 9
नयी पहलकदमी ----------13
बाजार की खबरें ----------14

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में मुख्य जोखिम अधिकारियों के लिए नियम निर्धारित किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहते हुये कि उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO), प्रबंध निदेशक (MD) और बोर्ड के पैनल को सीधे रिपोर्ट करना चाहिए मुख्य जोखिम अधिकारी (CRO) के लिए नियम निर्धारित कर दिये हैं। मुख्य जोखिम अधिकारी को कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं दिया जाएगा अथवा वह व्यावसायिक ऊर्ध्वाधरों के साथ किसी प्रकार का रिपोर्टिंग संबंध नहीं रखेगा। उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य के प्रधान के उत्तरदायित्वों को भी निभाने के लिए नहीं कहा जाएगा। उक्त अधिकारी जोखिम प्रबंधन के क्षेत्रों में आवश्यक एवं पर्याप्त अनुभव रखने वाला होगा। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बिना मुख्य जोखिम अधिकारी के साथ तिमाही में कम से कम एक बार प्रत्येक के लिए अलग-अलग आधार पर बैठक आयोजित करनी चाहिए।

सेबी ने स्टाक व्युत्पन्नियों के व्यापार की अनुमति दी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (IFSCs) में एकल स्टाक व्युत्पन्नियों (derivatives) के क्रय-विक्रय की अनुमति प्रदान कर दी है। इक्विटी शेयरों पर व्युत्पन्नियों की बाजार-व्यापक स्थिति सीमा अंतर्निहित प्रतिभूति की प्रतिबंध-रहित लेनदेन-योग्य शेयर (free float) की 10% होगी।

सावरेन स्वर्ण बांड योजना

इस वित्त वर्ष के लिए सावरेन स्वर्ण बाँड़ों की पहली शृंखला अभिदान के लिए 24 अक्तूबर को खुली और 28 अप्रैल को बंद हुई। इन स्वर्ण बाँड़ों का निर्गम मूल्य प्रति ग्राम 50 रुपए, अधिकृत मूल्य से कम था। इन बाँड़ों को बैंकों, स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया (SHCI), अभिहित डाकघरों तथा बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार सहित मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों के जरिये बेचा गया। निवेशक एक वर्ष में न्यूनतम एक ग्राम और अधिकतम 500 ग्राम सोने में निवेश कर सकते थे। निवेशकों को प्रति वर्ष अधिकृत मूल्य पर अर्ध-वार्षिक आधार पर देय 2.50% का स्थिर प्रतिलाभ प्राप्त हो सकता है।

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटें दलालों के रूप में कार्य करेंगी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में परिचालनरत बैंकिंग संस्थाओं/कंपनियों को किसी कंपनी का अलग से गठन किए बिना शेयर दलालों के रूप में अथवा समाशोधन सदस्यों के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके पूर्व, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में एक मध्यवर्ती के रूप में परिचालन करने की इच्छुक किसी कंपनी/संस्था के लिए प्रतिभूति बाजार से संबन्धित इसप्रकार की वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक कंपनी का गठन करना आवश्यक था।

सेबी ने सरकारी ऋण के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा बढ़ाई

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों (G-secs) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (FPIs) की निवेश सीमा बढ़ाकर 1.85 लाख करोड़ रुपए कर दी है। इसके अलावा, सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों द्वारा राज्य विकास ऋणों (SDLs) में निवेश की सीमा 21,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 27,000 करोड रुपए कर दी गई है। दीर्घावधि प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (पेंशन निधियों और विदेशी केंद्रीय बैंकों) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा 68,000 करोड़ रुपए से संशोधित करके 46,099 करोड़ रुपए कर दी जाएगी।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

दबावग्रस्त बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के उपाय अधिक कठोर

बनाए गए

भारतीय रिजर्व बैंक ने दबाव का सामना कर रहे बैंकों के लिए अपने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) उपायों को अधिक कठोर बना दिया है। इन उपायों में टियर 1 पूंजी के 6.75% के निर्धारित न्यूनतम स्तर के समक्ष घटकर 3.625% से कम हो जाने पर प्रबंधन की बर्खास्तगी तथा निदेशक मण्डल के अधिक्रमण का समावेश है। बैंकों के लगातार दो वर्षों से आस्ति पर ऋणात्मक प्रतिलाभ (negative ROA) अर्जित करने की स्थिति में होने पर प्रवर्तकों और विदेशी बैंकों की मूल कंपनियों के लिए पूंजी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई का यह ढांचा लघु वित्त बैंकों और शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों सहित भारत में परिचालनरत सभी बैंकों पर लागू होगा। किसी बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे में लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर लाया जाएगा। संशोधित ढांचे के प्रावधान 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के आधार पर 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी हैं। इस ढांचे का तीन वर्ष के बाद पुनरीक्षण किया जाएगा।

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश : दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए प्रावधानीकरण दरें बढ़ाएँ

संभाव्य दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने में बैंकों की सहायता करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उनसे मानक आस्तियों के लिए विविध क्षेत्रों में जोखिम और दबाव के मूल्यांकन के आधार पर विनियामक न्यूनतम से उच्चतर दरों पर प्रावधान करने के लिए बोर्ड अनुमोदित नीतियाँ लागू करने के लिए कहा है। दूरसंचार क्षेत्र द्वारा एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात के साथ दबावग्रस्त वित्तीय स्थितियाँ रिपोर्ट किए जाने के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के बोर्डों को अधिकतम 30 जून, 2017 तक दूरसंचार क्षेत्र का पुनरीक्षण करने तथा उसमें मानक आस्तियों के लिए उच्चतर दर पर प्रावधान किए जाने पर विचार करने के लिए कहा है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का कम से कम तिमाही आधार पर पुनरीक्षण किया जाना जरूरी होगा। इस पुनरीक्षण में ऋण-इक्विटी अनुपात, ब्याज व्याप्ति अनुपात, लाभ मार्जिनों, रेटिंग में कोटि-उन्नयन की तुलना में गिरावट का अनुपात, सेक्टरवार अनर्जक आस्तियों/दबावग्रस्त आस्तियों, उद्योग के कार्य-निष्पादन एवं संभावना और क्षेत्र के समक्ष उपस्थित होने वाले विधिक/विनियामक मुद्दों का समावेश किया जा सकता है। पुनरीक्षणों में

सेक्टर-विशिष्ट मापदण्डों को भी शामिल किया जा सकता है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों को भारतीय रिजर्व बैंक से मिला बढ़ावा

भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में स्थित बैंकिंग इकाइयों को उन संरचित उत्पादों, जिनका भारत में परिचालनरत बैंक संचालन कर सकते हैं, सहित व्युत्पन्नी (derivaties) लेनदेन करने की अनुमति दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाइयां (IBUs) किसी भी व्युत्पन्नी खंड में समाशोधन एवं निपटान के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के शेयर बाजार की व्यावसायिक समाशोधन सदस्य बन सकती हैं।

एयू फाइनैन्सियर्स लघु वित्त बैंक में रूपांतरित

एयू फाइनैन्सियर्स इंडिया कहलाने वाली एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपने आप को एयू स्माल फाइनैन्स बैक के नाम से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिवर्तित कर लिया है। एयू ने कंपनी मामला मंत्रालय से 13 अप्रैल, 2013 को तथा भारतीय रिजर्व बैंक से 19 अप्रैल, 2107 को एक नया निगमन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। एयू ने अपने व्यवसाय की शुरुआत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में की थी तथा वह वाणिज्यिक/वैयक्तिक वाहन ऋण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) ऋण और गृह ऋण प्रदान करने में संलग्न थी, जो मुख्यत: अल्प, मध्यम आय वर्ग एवं अल्प सेवाप्राप्त ग्राहक खंडों को सेवा प्रदान करती थी। एयू के पास 10 राज्यों में फैली 300 शाखाओं का नेटवर्क मौजूद है।

बीमा

इरडाई ने अन्य-पक्ष मोटर बीमा की दरें घटाईं

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 2017-18 के लिए दरों को आशोधित करते हुए दुपहियों, कारों और ट्रकों जैसे अधिकांश खंडों में मोटर बीमा प्रीमियम की दरें घटा दी हैं। मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा सुरक्षा के लिए उक्त आशोधित प्रीमियम दरें 1

अप्रैल से लागू हो गई हैं। हालांकि, वर्तमान वित्त वर्ष के लिए प्रीमियम की दरें पिछले वर्ष की दरों की तुलना में अधिक हैं। संशोधित सूची के अनुसार 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के साथ मझोले खंड वाली कारों (1000 सीसी -1500 सीसी कारों) पर प्रीमियम कम कर दिया गया है। 1000 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली कारों की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीप्रकार, 150 सीसी और उससे अधिक के इंजन वाले दुपहियों के मामले में प्रीमियम घटा दिया गया है। अधिकांश श्रेणियों के ट्रकों की प्रीमियम दरें कम कर दी गई हैं।

अर्थव्यवस्था

एडीबी ने इस वित्त वर्ष में 7.4% की वृद्धि दर अधिकीलित की

एशियाई विकास बैंक (ADB) की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार विमुद्रीकरण के प्रभाव को झटका देते हुए 2017 में अर्थव्यवस्था के 7.4% और आगामी वित्त वर्ष में 7.6% बढ़ने की आशा है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री बी॰ पी॰ कानूनगो	भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त
श्री केनिची योकोयामा	एशियाई विकास बैंक (ADB) के इंडियन रेसिडेंट मिशन के कंट्री डाइरेक्टर के रूप में नियुक्त
श्री किशोर खरात	इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त
श्री एम॰एस॰ महाबलेश्वर	कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त
श्री बी॰ वेणुगोपाल	भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त
सुश्री सुनीता शर्मा	भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिसके साथ गठजोड़ हुआ वह संगठन	उद्देश्य
भारतीय स्टेट बैंक	काक्स एंड किंग्स लिमिटेड	भारत में पूर्व-प्रदत्त यात्री कार्डों की बिक्री के लिए

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	28 अप्रैल, 2017 के दिन बिलियन रुपए	28 अप्रैल, 2017 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	23,944.0	3,72,732.0
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	22,411.3	3,49,055.8
(ख) सोना	1,288.3	19,869.0
(ग) विशेष आहरण अधिकार	93.7	1,460.0
(घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	150.7	2,347.2

मई, 2017 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.39350	1.57640	1.71980	1.82250	1.92290
जीबीपी	0.37440	0.5654	0.6355	0.7165	0.8038
यूरो	-0.20420	-0.134	-0.025	0.093	0.221
जापानी येन	0.04130	0.041	0.043	0.056	0.075
कनाडाई डालर	1.20000	1.100	1.211	1.308	1.395
आस्ट्रेलियाई डालर	1.78500	1.870	2.010	2.330	2.460
स्विस फ्रैंक	-0.64500	-0.630	-0.513	-0.408	-0.296

डैनिश क्रोन	-0.04650	0.0570	0.1695	0.2990	0.4395
न्यूजीलैंड डालर	2.08390	2.315	2.548	2.738	2.896
स्वीडिश क्रोन	-0.44500	-0.275	-0.078	0.118	0.305
सिंगापुर डालर	1. 22000	1.440	1.658	1.820	1.960
हांगकांग डालर	1.17000	1.420	1.600	1.760	1.880
म्यामार	3.55000	3.620	3.680	3.730	3.790

सूक्ष्मवित्त

एमफिन ने फाइनैन्सियल लिटरेसी एप की शुरुआत की

सूक्ष्मवित्त संस्थाओं के नेटवर्क (MFIN) ने ग्राहकों के लिए एक वित्तीय साक्षरता मोबाइल एप की शुरुआत की है। एण्ड्रोइड प्लेटफार्म पर जारी उक्त एप हिन्दी, मराठी, तेलुगू, तमिल और अंग्रेजी सहित छः भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसका उद्देश्य सूक्ष्मवित्त ग्राहकों के ऋण इतिवृत्त, ब्याज दरों, चुकौती चक्र तथा उधारकर्ताओं के रूप में उनके अधिकारों सहित सूक्ष्मवित्त से संबन्धित गतिशीलताओं को समझने में ग्राहकों की सहायता करना है।

शब्दावली

आस्तियों पर प्रतिलाभ (ROA)

आस्तियों पर प्रतिलाभ (ROA) एक ऐसा लाभप्रदता अनुपात है जो कुल आस्तियों पर सृजित निवल लाभ (निवल आय) का संकेत करता है। इसकी गणना निवल आय को औसत कुल आस्तियों से विभाजित करके की जाती है। सूत्र - (कर पश्चात लाभ/औसत कुल आस्तियां) x 100

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

बचाव व्यवस्था/प्रतिरक्षण

एक ऐसी आस्ति, देयता अथवा वित्तीय प्रतिबद्धता, जो किसी अन्य निवेश या देयता के मूल्य में प्रतिकूल परिवर्तनों अथवा से होने वाले नकदी प्रवाहों के समक्ष संरक्षित करती है। किसी अप्रतिरक्षित निवेश अथवा देयता को एक्सपोजर कहा जाता है। पूर्णत: अनुरूप बचाव व्यवस्था/ प्रतिरक्षण से उस मूल्य में वृद्धि होगी जिसके अंतर्निहित एक्सपोजर में कमी आती है अथवा अंतर्निहित एक्सपोजर में जिसकी कमी आती है उसका अभिलाभ होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जून, 2017 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	स्थान
1	ऋण निगरानी	05 से 07 जून, 2017 तक	मुंबई
2	उन्नत ऋण मूल्यांकन	12 से 17 जून, 2017 तक	मुंबई
3	अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला	19 से 21 जून, 2017 तक	मुंबई
4	लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तीयन	01 से 05 जून, 2017 तक	चेन्नै
5	वसूली प्रबंधन	07 से 09 जून, 2017 तक	कोलकाता
6	बैंकों में जोखिम प्रबंधन	19 से 21 जून, 2017 तक	कोलकाता
7	अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला	09 से 11 जून, 2017 तक	दिल्ली

संस्थान समाचार

भूटान के साथ समझौता ज्ञापन

संस्थान ने भूटान के बैंकरों के लिए पाठ्यसामग्री तैयार करने के लिए फाइनैन्सियल ट्रैनिग इंस्टीट्यूट लिमिटेड (FITI) भूटान के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया।

अफगानिस्तान के बैंकरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने पहली बार अफगानिस्तान इंटर्नेशनल बैंक के लिए 20 अप्रैल से 1 मई तक ऋण पर एक विशिष्टीकृत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 18 बैंकरों ने सहभागिता की।

स्थापना दिवस कार्यक्रम 2017

संस्थान ने 29 अप्रैल, 2017 को अपने स्थापना दिवस तथा उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) प्रमाणपत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एन॰ एस॰ विश्वनाथन इस समारोह के मुख्य अतिथि थे।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नयी पाठ्यसमग्री

संस्थान ने 29 अप्रैल, 2017 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपनी नयी पाठ्यसमग्री की शुरुआत की। उक्त पुस्तक बैंकिंग भ्रातृसंध के उद्योग विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई।

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

वर्तमान में संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता है। जून से लेकर अगस्त तक आयोजित की जाने वाली इन परीक्षाओं के लिए अनलाइन पंजीकरण **8 मई, 2017** से आरंभ हो रहा है। अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in.पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुएं इस प्रकार निर्धारित की गई हैं :

*अप्रैल-जून, 2017 : मूलभूत सुविधा वित्तीयन में चुनौतियाँ
*जुलाई-सितंबर, 2017 : विमुद्रीकरण के उपरांत बैंकों पर प्रभाव/ उनके लिए
*चुनौतियाँ
*अक्तूबर-दिसंबर, 2017 : सूक्ष्म अनुसंधान आलेख
*जनवरी-मार्च, 2018 : बैंकों मेँ साइबर सुरक्षा
*अप्रैल-जून, 2018 : अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग
*जुलाई-सितंबर, 2018 : जोखिम प्रबंधन

सेवा कर की नयी दर

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने 1ली जून, 2016 से किसी भी या सभी करयोग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत कृषि कल्याण उप कर की वसूली किए जाने की सूचना दी है। सेवा कर की प्रभावी दर 14% + 0.5 % (स्वच्छ भारत उप कर) +0.5 % (कृषि कल्याण उप कर) = 15.00 % है। तदनुसार, संस्थान ने सभी शुल्कों में इस परिवर्तन को शामिल कर लिया है।

अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण और ग्राहक सेवा परीक्षा

संस्थान अप्रैल, 2016 के बाद से अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण और ग्राहक सेवा परीक्षा मेँ प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन नियमित रूप से तिमाही आधार पर कर रहा है। विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने -आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे मेँ पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों मेँ प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि मेँ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से निराकरण करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध मेँ प्रश्नपत्रों मेँ समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र मेँ 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध मेँ प्रश्नपत्रों मेँ समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र मेँ 30 जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दे।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का जर्नल

1. प्रकाशन स्थल	: मुंबई
2. प्रकाशन की आवधिकता	: मासिक
3. प्रकाशक का नाम	: डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
4. संपाद्क का नाम	: डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम : आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 005

6. स्वामियों के नाम एवं पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

मैं, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

31.03.2017 डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 6928/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.1
6.05
6.
5.95
5.9
5.85
5.8

नवंबर, 2016, दिसंबर, 2016, जनवरी, 2017, फरवरी,2017, मार्च, 2017, अप्रैल, 2017

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, अप्रैल, 2017

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

90
85
80
75

70
65
60
55
50

नवंबर, 2016, दिसंबर, 2016, जनवरी, 2017, फरवरी, 2017, मार्च, 2017, अप्रैल, 2017

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

9
8
7
6
5
4
3
2
1

अक्तूबर, 2016, नवंबर, 2016, दिसंबर, 2016, जनवरी, 2017, फरवरी, 2017, मार्च, 2017

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2017

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

31000
30000
29000
28000
27000
26000

नवंबर, 2016, दिसंबर, 2016, जनवरी, 2017, फरवरी, 2017, मार्च, 2017, अप्रैल, 2017

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

16
15
14
13
12
11
10
9
8

अक्तूबर, 2016, नवंबर, 2016, दिसम्बर, 2016, जनवरी, 2017, फरवरी, 2017, मार्च, 2017
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2017

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई - 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन मई, 2017